# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

**निगरानी संख्या – 623/2015/आबकारी/अलवर**

श्री महेश कुमार मीणा पुत्र श्री फूलचन्द मीणा
निवासी मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर. .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री दलीप सिंह मीणा पुत्र श्री सरदार सिंह मीणा,
   निवासी मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर. .....अप्रार्थी संख्या 1
2. आबकारी अधिकारी, अलवर. .....अप्रार्थी संख्या 2

**खण्डपीठ**
**श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष**
**श्री मनोहर पुरी, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री एच. के. सैनी, अभिभाषक .....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी सं. 2 की ओर से

**आदेश दिनांक : 17/06/2015**

## निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी श्री महेश कुमार मीणा द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के प्रकरण संख्या 28(सी)18/आब/2015/3160 में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.4.2015 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9(ए)(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थी की निगरानी के सन्दर्भ में अप्रार्थी संख्या 1 श्री दलीप सिंह मीणा द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गयी है, जिसका निस्तारण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

2. प्रार्थी की निगरानी के सम्बन्ध में अप्रार्थी दलीपसिंह के अभिभाषक श्री एच.के.सैनी ने प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की। प्राथमिक आपत्ति में कथन किया गया है कि –

(1) यह कि अप्रार्थी दलीप सिंह ने रिट याचिका नं0 3283/2014 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.03.2014 को पेश कर महेश कुमार को जारी मदिरा लाईसेंस को निरस्त कर अपने पक्ष में जारी करवाने हेतु चुनौती दी, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 15.12.2014 के द्वारा निस्तारित करते हुए निर्णीत किया कि दलीप सिंह मीणा अपनी आपत्ति के सन्दर्भ में एक अभ्यावेदन जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त आदेशानुसार अप्रार्थी श्री दलीप सिंह के द्वारा अभ्यावेदन पेश पेश किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी अलवर ने आदेश दिनांक 16.01.2015 से अप्रार्थी दलीप सिंह

**लगातार.....2**

का अभ्यावेदन निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी दलीप सिंह ने अभ्यावेदन के निरस्ती के खिलाफ एक याचिका नं. 2673/2015 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.02.2015 को पेश की तथा जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 16.01.2015 को चुनौती दी। उक्त याचिका का निस्तारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02.03.2015 से करते हुए एक अभ्यावेदन आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया तथा आबकारी आयुक्त के अभ्यावेदन को चार सप्ताह में आवश्यक रूप से तय करने का निर्देश दिया गया।

(2) यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अप्रार्थी दलीप सिंह ने एक अभ्यावेदन दिनांक 12.03.2015 को आबकारी आयुक्त के समक्ष पेश किया, जिस पर आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 15.04.2015 से अप्रार्थी दलीप सिंह का अभ्यावेदन स्वीकार कर लिया।

(3) यह कि आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 15.04.2015 के विरूद्व प्रार्थी महेश कुमार मीणा ने एक रिट याचिका नं0 4948/2015 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2015 को पेश की, जो सुनवाई के लिये दिनांक 04.05.2015 को सूचीबद्व हुई, जिसमें प्रार्थी के अधिवक्ता ने नम्बर नहीं आने पर अर्जेन्ट भी मेन्शन किया, लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अर्जेन्ट नहीं मानते हुए दो सप्ताह बाद सूचीबद्व होने के आदेश दिये, जिसमें आगामी तारीख 21.05.2015 नियत की गई। इसी दौरान रिट याचिका के विचाराधीन रहते हुए महेश कुमार मीणा द्वारा दिनांक 06.05.2015 को राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष पृथक से निगरानी पेश कर दिनांक 08.05.2015 को सभी तथ्य छुपाते हुए प्रकरण को तोड़—मरोड़कर एकतरफा स्थगन आदेश पारित करवा लिया गया, जो न्यायालय को गुमराह कर विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है, इसी स्तर पर काबिल खारिज है।

(4) यह कि उपरोक्त उनवानी निगरानी आबकारी आयुक्त उदयपुर के द्वारा दिनांक 15.04.2015 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका नं0 2673/2015 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2015 की पालना में आबकारी आयुक्त उदयपुर द्वारा अभ्यावेदन पर पारित आदेश के विरूद्व पेश की है, जो उनके द्वारा अपील पर पारित स्वतंत्र आदेश नहीं होकर मात्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.03.2015 की पालना में पारित आदेश है। इस अभ्यावेदन पर पारित आदेश के खिलाफ सीधे ही निगरानी संधारण योग्य नहीं है। इस कारण निगरानी इस स्तर पर काबिले निरस्त है।

लगातार..... 3

(5) यह कि दिनांक 08.05.2015 को राजस्थान कर बोर्ड से स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद दिनांक 12.05.2015 को प्रार्थी महेश कुमार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों की उपस्थिति में बिना शर्त एवं बिना किसी प्रकार का कारण अंकित किये मात्र रिट याचिका को आगे नहीं चलाना अंकित करते हुए विद्ड्रॉ करने का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर याचिका को दिनांक 13.05.2015 को विद्ड्रॉ कर ली गई। इस प्रकार आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 बहाल रखा जाना स्वीकार किया है, जो याचिका के बिना शर्त विद्ड्रॉ करने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष तक बहाल है। इस कारण अब राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है।

3. प्राथमिक आपत्ति को स्वीकार करने की मांग करते हुए उक्त उनवानी निगरानी में दिनांक 08.05.2015 को एक तरफा में पारित आदेश को रि—कॉल कर उक्त उनवानी निगरानी को संधारण योग्य नहीं होने पर इस स्तर पर निरस्त किये जाने की मांग की। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :—

(1) **ए.आई.आर. 2003 राजस्थान 319 हरिराम बनाम लिछमनिया व अन्य**

(2) **2007 (6) डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) 56 गोरधन दास बनाम सोमदत्त**

(3) **2008 डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) 29 ब्रिजलाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य**

(4) **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नं0 3402/2012 रामजीलाल पुत्र श्री इसरा बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.04.2012**

(5) **2011 डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) 406 प्रदीप सिंह बनाम राज्य**

(6) **2009 (3) डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) 341 डॉ. एम.पी.भटनागर बनाम यू.ओ. आई. व अन्य**

4. प्रार्थी महेश कुमार की ओर से अभिभाषक उपस्थित। कथन किया कि निगरानी संधारणीय है। निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :—

(1) **1995 (2) डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) 1 गोपी लाल तेली बनाम दी स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य**

(2) **2014 (1) आर.आर.टी. 269 ए.यू. फाइनेंसर्स (इण्डिया) प्रा0 लि0 बनाम अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, बीकानेर**

(3) **2012 (5) डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) 563 बाबू लाल यादव बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य**

लगातार.....4

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 3283/2014 का निस्तारण निर्णय आदेश दिनांक 15.12.2014 के द्वारा निम्नानुसार किया गया है :—

"The petitioner has approached this Court raising objection with regard to allotment of retail shop of liquor to Respondent No. 3 vide order dated 20.02.2014.

During course of the arguments, learned counsel for the petitioner submitted that the shop was allotted to Respondent No. 3 on the condition that he shall not transfer the shop to any other person whereas Respondent No. 3 has transferred the shop by way of sale to one Mahendra Yadav without due permission of the competent authority.

If that be so, the petitioner may submit an application to District Excise Officer, Alwar along with proof of aforesaid transfer, who shall take decision on such application of the petitioner within four weeks from the date of filing of the application by the petitioner.

With the aforesaid direction, writ petitioner is disposed of."

6. याचिका संख्या 3283/2014 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2014 की पालना में श्री दलीपसिंह मीणा द्वारा जिला आबकारी अधिकारी अलवर को अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जो निम्न प्रकार था :—

"उपरोक्त विषयान्तर्गत नम्र निवेदन है कि ग्राम माठुका के लिए अंग्रेजी व देशी मदिरा की रिटेल दुकानों का आवंटन राज्य सरकार ने लॉटरी से दिनांक 20.02.2014 को महेश मीणा को किया था तथा मैं द्वितीय सफल आवेदक था आवंटन के लिए महेश मीणा का प्रार्थना पत्र था तथा प्रतिभूमि व आवेदन फीस की डिमाण्ड ड्राफ ओमप्रकाश गुर्जर के पी.एन.बी. खाते से बने हुए थे। जबकि इन्होनें पार्टनशीप डीड भी पेश नहीं की थी। श्रीमान् आवंटन के बाद महेश मीणा ने जरिये इकरारनामा दिनांक 11.03.2014 को उक्त मदिरा लाईसेन्स एक अन्य वक्ति महेन्द्र यादव पुत्र श्री रामदेव यादव निवासी चादाली रामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर को ट्रांसफर कर दिया। नियमानुसार बिना लाईसेन्स ऑथोरिटी की प्रीवियस परमिशन के ट्रांसफर नही किया जा सकता। इस संदर्भ में मैनें आपको एक पत्र दिनांक 28.02.2014 को दिया था तथा एक अन्य पत्र श्रीमान् आयुक्त आबकारी विभाग, उदयपुर को दिनांक 13.05.2014 को दिया था। जिसको श्रीमान् आयुक्त महोदय ने आपको आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया था परन्तु आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

लगातार.....5

श्रीमान् इसी संदर्भ में मैंने एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में पेश कर लाईसेन्स निरस्त करने की मांग की थी। जिस पर सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि मेरे द्वारा आपके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो आप चार सप्ताह में आदेश पारित करें।

**अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेशनुसार आदेश की प्रति व इकरारनामा दिनांक 11.03.2014 की प्रति संलग्न कर श्रीमान् से निवेदन है कि चार सप्ताह में कार्यवाही कर महेश मीणा का मदिरा लाईसेन्स निरस्त कर मुझ द्वितीय सफल आवेदन को मदिरा लाईसेन्स देने के आदेश फरमायें।"**

7. श्री दलीप सिंह मीणा द्वारा दिये गये अभ्यावेदन का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 16.01.2015 द्वारा निम्न प्रकार किया गया –

"माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश की पालना में प्रार्थी द्वारा दिनांक 2.12.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसको जिला आबकारी निरीक्षक, बहरोड प्रार्थी एवं अप्रार्थी को दिनांक 29.12.2014 को साक्ष्य सहित उपस्थित होने हेतु तलब किया गया। आबकारी निरीक्षक वृत्त बहरोड की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। आबकारी निरीक्षक वृत्त बहरोड की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा किसी भी व्यक्ति को दुकान का बेचान नहीं किया गया है अप्रार्थी स्वयं द्वारा ही दुकान का संचालन किया जा रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी को दिनांक 22.12.2014, 29.12.2014, 07.01.2015 एवं 14.01.2015 को साक्ष्य सहित उपस्थित होने के तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 29.12.2014 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई के दौरान किसी भी व्यक्ति को दुकान बेचना नही बताया गया है तथा दुकान स्वंय द्वारा ही चलाया जाना बताया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 14.01.2015 को एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें भी दुकान स्वयं द्वारा ही चलाया जाना बताया गया है। प्रार्थी को बार–बार कहने पर भी दुकान के बेचान संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये। अतः प्रार्थी द्वारा इस दुकान को हस्तान्तरित करना साबित नहीं होता है।

आबकारी निरीक्षक वृत्त बहरोड की रिपोर्ट एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र तथा प्रार्थी द्वारा दुकान के बेचान के संबंध में किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।"

**लगातार.....6**

8. जिला आबकारी अधिकारी अलवर के द्वारा खारिज किये गये अभ्यावेदन के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 2673/2015 प्रस्तुत की गई, जिसका निस्तारण निर्णय दिनांक 02.03.2015 के द्वारा निम्न प्रकार किया गया :—

> "It appears that the petitioner has submitted representation to the Commissioner, Excise Department, Udaipur, who had forwarded the same to District Excise Officer, Alwar on 01-05-2014. Having regard to the fact that when District Excise officer, Alwar has failed to appreciate the aforesaid document, despite the same having been produced before him, this Court deems it appropriate to require the petitioner to approach the Commissioner, Excise Department, Udaipur by way of filing representation along with copy of this order, who shall examine grievance of the petitioner and decide his representation by passing speaking order within four weeks form the date of its filing.

9. याचिका संख्या 2673/2015 में पारित निर्णय आदेश दिनांक 02.03.2015 की पालना में श्री दिलीप सिंह मीणा के द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर को दिये गये अभ्यावेदन का निस्तारण आदेश दिनांक 15.04.2015 के द्वारा निम्न प्रकार किया गया :—

> "मैरे द्वारा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अध्ययन किया। जिला आबकारी अधिकारी अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.15 विधि सम्मत प्रतीत न होने से निरस्त किया जाकर प्रार्थी का अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है तथा जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में वर्णित मदिरा दुकान का आंवटन श्री महेश कुमार मीणा के स्थान पर श्री दलीप मीणा को नियमानुसार किया जावें।"

10. श्री महेश कुमार मीणा के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम के अधीन आबकारी आयुक्त, उदयपुर के आदेश दिनांक 15.04.2015 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत निगरानी के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :—

| Reference | Original Order of | Appeal to Appellate Athority | Revision from appellate order only |
|---|---|---|---|
| S.9A(1) | | | |
| (a) | Excise Officer | Excise Commissioner | Divisional Bench of Rajasthan Tax Board |
| (b) | Excise Commissioner | Division Bench of Rajasthan Tax Board | |

लगातार..... 7

11. अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति इस आधार पर की गई है कि

> "4. यह कि उपरोक्त उनवानी निगरानी विद्वान आबकारी आयुक्त उदयपुर के द्वारा दिनांक 15.04.15 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका नम्बर 2673/2015 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2015 की पालना में आबकारी आयुक्त उदयपुर द्वारा अभ्यावेदन पर पारित किये गये आदेश के विरूद्ध पेश की है जो उनके द्वारा अपील पर पारित स्वतंत्र आदेश नहीं होकर मात्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.03.2015 की पालना में पारित आदेश है इस कारण अभ्यावेदन पर पारित आदेश के खिलाफ सीधे ही निगरानी संधारण योग्य नहीं है इस कारण उक्त निगरानी इसी स्तर पर काबिल खारिज है।"

12. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के सन्दर्भ में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी श्री दलीप सिंह द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रभेद करने लायक (Distinguishable) होने के कारण लागू होने योग्य नहीं हैं।

13. **राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 9ए के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा जिला आबकारी अधिकारी अलवर का आदेश निरस्त करने के पश्चात अभ्यावेदन स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया है।** इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी श्री महेश कुमार मीणा द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गयी है। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 9ए के प्रावधानों के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गयी है, जो उक्त धारा के अन्तर्गत संधारणीय है।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथमिक आपत्ति खारिज किये जाने योग्य होने के कारण खारिज की जाती है।

15. प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22/07/2015 को खण्डपीठ के समक्ष पेश हो। पक्षकारों को सूचित किया जावे।

16. आदेश सुनाया गया।

**( मनोहर पुरी )**
**सदस्य**

**( बी. के. मीणा )**
**अध्यक्ष**